

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2022 — वैशाख 21, शक 1944

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना, जो राज्य शासन की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 977/सी-761/वि./नि./चार/04, दिनांक 27 अक्टूबर, 2004 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 01-11-2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये लागू की गई थी, के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हैं, तथा

योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाएगा:—

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाता है।
2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती, दिनांक 01-04-2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।
4. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी।
5. एनएसडीएल से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को, भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को, पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।
6. शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर, दिनांक 01-11-2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार, ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
7. दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी, पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक/परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय

सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे ।

8. योजना के अर्न्तगत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे ।
9. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यो का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाही, वित्त विभाग द्वारा की जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2022

NOTIFICATION

No.F-2016-04-03289.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, reinstates old pension scheme in place of a newly defined contribution based pension scheme which was implemented for all the employees appointed in the pensionable establishment of the State Government on or after 1-11-2004, State Government's vide Notification No. 977/C-761/F/R/04, dated 27th October, 2004, and

The scheme will be implemented as follows:-

1. In place of New Contributory Pension Scheme, Old Pension Scheme is reinstated again with effect from 01-11-2004.
2. The 10% deduction for monthly contribution from the salary of government servants under the New Contributory Pension Scheme will be abolished from 01-04-2022 and a minimum of 12 percent of the basic salary (emoluments) will be deducted as per the General Provident Fund rule.
3. Chhattisgarh General Provident Fund Accounts of all government servants appointed under the new Contributory Pension Scheme will be with the Directorate, Treasury, Accounts and Pensions under the control of the Finance Department instead of the Accountant General's office (up to the time of establishment of the new Directorate of Pension and Provident Fund).
4. A separate Directorate, Pension and Provident Fund will be established for maintenance of the Chhattisgarh General Provident Fund Accounts and all works related to Pension.
5. The amount of government contribution received from NSDL and interest earned on it will be kept in a separate fund under the Public Account, in future for the payment of pensionary liabilities and an amount equal to 4 percent of the pensionary liabilities of the previous year will be invested in the pension fund every year.
6. The principal amount of government servant's contribution will be transferred to Chhattisgarh General Provident Fund and interest will be paid from 01-11-2004 as per instructions issued by the State Government from time to time regarding the rate of interest under the Chhattisgarh General Provident Fund Rules.
7. In case of employees who are retired/dead in between the date of implementation of old pension scheme and 01-11-2004, benefits will be payable as per rules to the eligible government servants / families according to the old pension scheme. For such government servants, who have received retirement benefits after retirement in the new Contributory Pension Scheme or in case of death of a government servant to their families, then guidelines will be issued separately to determine the benefit according to the old pension scheme.

8. Detailed guidelines regarding accounting, regulation and procedure under the scheme will be issued separately.
9. In place of the new Contributory Pension Scheme, the execution of all the works related to restoration of Old Pension Scheme and other ancillary action will be done by the Finance Department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“(1)(क) ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों, जो दिनांक 01-11-2004 को या उसके पश्चात् राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त किये गये हैं और जो पेंशन योग्य स्थापना में धारित हैं, चाहे स्थाई हो या अस्थायी, को लागू होंगे।”
2. अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (2) के खण्ड (जी) का लोप किया जाये ।

यह संशोधन, दिनांक 01-11-2004 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2022

NOTIFICATION

No.F-2016-04-03289.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After sub-rule (i) of rule 2 of Chapter-I, the following shall be added, namely :-
“(i)(a) These rules shall apply to all Government Servants appointed on or after 01-11-2004, to services and posts in connection with the affairs of the State and who are borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent.”
2. Clause (g) of sub-rule (ii) of rule 2 of Chapter-I shall be omitted.

This amendment shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the date of 01-11-2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.